//परिपत्र//

पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0क0/2011–12/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून::दिनांक:: 18 जुलाई, 2011

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
व वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

अधिसूचना संख्या 557 दिनांक 31.12.2010 द्वारा वैट नियम–2005 में संशोधन किये गये है। इन संशोधनों में नियम–11 में व्यापारियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले साविधिक व वार्षिक विवरणी नये प्रारूप में लागू की गयी है। संशोधित साविधिक विवरणी दिनांक 01.04.2011 से लागू की गयी है । संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम त्रैमास से सम्बन्धित साविधिक विवरणी दिनांक 25.07.2011 तक दाखिल की जानी है । साविधिक विवरणी नये प्रारूप में होने के कारण कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रथम तिमाही के लिए दाखिल की जाने वाली साविधिक विवरणी एवं उपाबन्धों (Annexures) के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं:–

1–रूपपत्र–3 के उपाबन्ध 17(C),17(F),17(H),17(I), 17(J), व 17(XI) भविष्य में केन्द्रीय प्रपत्रो (प्रपत्र C, F, H, I, J, XI) को ऑनलाईन जारी किये जाने के दृष्टिकोण से प्रावधानित किये गये थे। चूंकि केन्द्रीय प्रपत्र आनलाईन अभी निकट भविष्य में जारी नही होने हैं, अतः ये 6 (छः) Annexures दाखिल नहीं किये जाने हैं।

2–प्रत्येक व्यापारी द्वारा कोई भी अनुलग्नक उसी दशा में प्रस्तुत किया जाना है, जब उनके द्वारा अनुलग्नक से सम्बन्धित से सम्बन्धित संव्यवहार किये गये हो। फिर भी यदि कोई शून्य का Annexures दाखिल करता है, तो उसे मूलरूप में वापस कर दिया जाए।

3–रूपपत्र–3 (फार्म–III) के पार्ट "C" में ''आउटपुट टैक्स'' शीर्षक के अन्तर्गत क्रम–30, 31, 32, 33 व 34 तक व पार्ट "E" में ''इनपुट टैक्स'' शीर्षक के अन्तर्गत क्रम–53, 54 व 55 के दूसरे तथा तीसरे कालम में रूपपत्रों में Schedule N0.(अनुसूची संख्या) व Sl. No in Sch. (प्रविष्टि संख्या) दिये जाने की अपेक्षा की गयी है। यदि किसी विवरणी में Schedule N0.(अनुसूची संख्या) व Sl. No in Sch. (प्रविष्टि संख्या) नहीं लिखी जाती है, तो विवरणी को अपूर्ण न माना जाये।

4–केन्द्रीय बिकी से सम्बन्धित Annexures (उपाबन्ध–3,4,5,6 व 7) में विवरण Invoice-wise व dealer-wise दोनों प्रकार से मांगा गया है। यदि व्यापारी द्वारा यह विवरण निर्धारित प्रारूप में सिर्फ Invoice-wise दिया जाता है, तो विवरणी को अपूर्ण न माना जाये ।

5–यदि कोई व्यापारी नियम–45 तथा नियम 46 में प्रावधानित खरीद रजिस्टर (फार्म XXVIII) तथा बिकी रजिस्टर (फार्म XXIX) को निर्धारित प्रारूप में रखता है तथा खरीद–बिकी से सम्बन्धित Annexures 1 व 2 उसी प्रारूप में प्रस्तुत करता है तो ऐसे Annexures को स्वीकार कर लिया जाए ।

6–प्रारूप–3, 3(क), 3(ख) व 3(ग) एवं इनसे सम्बन्धित उपाबन्ध (Annexures) की उपलब्धता के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया जाता है कि साविधिक विवरणी के सभी प्रारूप (Annexures

–2–

SL

Dy- 8816 Dt- 20/7/11